राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन(ग्रुप–5)विभाग

क्रमांकःप.1(16)साप्र / 5 / 2013 जयपुर, दिनांकः 06/09/2013

प्रबन्धक,
समस्त विश्राम भवन,
राजस्थान ।

विषयः– आवास सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निर्देशानुसार लेख है कि विश्राम भवनों में राजकीय कार्य से यात्रा करने पर /स्थानान्तरण पर आने पर, स्थान विशेष पर अन्य कोई नियमित राजकीय आवास धारक नहीं होने, स्थान विशेष पर मुख्यालय नहीं होने तथा स्थानीय निवासी नहीं होने की शर्तो के अध्यधीन आवास/भोजनादि की सुविधा रियायती दर पर उपलब्ध कराने का प्रावधान है ।

वर्तमान में ध्यान में आया है कि विश्राम भवनों में नवपदस्थापित न्यायिक अधिकारीगण आवासित है। नियमानुसार विश्राम भवन में स्थानान्तरण पर आवास सुविधा उपलब्ध कराई जाती है किन्तु उक्त अधिकारियों का नवपदस्थान होने के कारण मुख्यालय होने के कारण आवास सुविधा देय नहीं है ।

अतः आपके यहॉ आवासित नवनियुक्त अधिकारियों से नियमानुसार देय दर चार्ज करते हुए विश्राम भवन का कमरा रिक्त कराने की कार्यवाही करने का श्रम करें ।

भवदीय,

मु. शर्मा
06/09/2013
(मुन्नालाल शर्मा)
सहायक शासन सचिव